परिशिष्ट - 'ड़'

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
<u>परोपकारी निधि नियम</u>

1. ये नियम <u>आईआईएफटी परोपकार निधि नियम</u> कहलाएंगे और 19-12-1972 से लागू होंगे।

2. इन नियमों में:

क. कर्मचारी से तात्पर्य आईआईएफटी कैडर के ऐसे कर्मचारी से है जिसने कम-से-कम छह महीने सेवा की हो और जो आईआईएफटी परोपकार निधि में अंशदान करता हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- आकस्मिक कर्मचारी
- संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी
- सरकारी कर्मचारी और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य कर्मचारी

ख. ग्रेड से तात्पर्य आईआईएफटी सेवा उपनियमों में निर्दिष्ट ग्रेड से है।

ग. परोपकारी निधि समिति (बीएफसी) से तात्पर्य है निधि का प्रबंधन करने के लिए समय-समय पर आईआईएफटी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति।

घ. संस्थान से तात्पर्य है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान।

3. संस्थान प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस निधि में 51000/- रुपये की राशि हस्तांतरित करेगा।
4. आईआईएफटी के वे कर्मचारी जो निधि में योगदान देना चाहते हैं, प्रति माह 15 रुपये का एक समान योगदान देंगे।
5. निधि को एसबीआई या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाते में रखा जाएगा और इसका संचालन बीएफसी के दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
6. निधि की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष आईआईएफटी के लेखा परीक्षकों द्वारा करी जाएगी और लेखापरीक्षा शुल्क आईआईएफटी द्वारा वहन किया जाएगा।
7. निधि द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

क) <u>ब्याज मुक्त ऋण</u>: ऐसे ऋण कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाएंगे और सामान्यतः 20000/- रुपये से अधिक नहीं होंगे। इन्हें वेतन से 500/- रुपये की 40 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा, जो ऋण लेने के बाद वाले माह से शुरू होंगी। ऐसा ऋण कर्मचारी या उसके आश्रितों की लंबी बीमारी, सर्दियों के कपड़ों या कर्मचारी या उसके बच्चों के विवाह के लिए दिया जाएगा। बच्चों के कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश और स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारी को 750/- रुपये का ऋण दिया जाएगा। वरिष्ठ माध्यमिक/कॉलेज/विश्वविद्यालय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षा हेतु अग्रिम राशि तभी स्वीकृत की जाएगी जब पाठ्यक्रम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

ख) **<u>अंत्येष्टि अनुदान</u>:** किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए आश्रितों को 2000/- रुपये के अनुदान के रूप में तत्काल राहत दी जाएगी।

ग) **<u>मृत्यु/विकलांगता अनुदान</u>:** किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके स्थायी रूप से अक्षम होने और परिणामस्वरूप प्रभावी सेवा जारी रखने में असमर्थता के मामले में, उसके पुनर्वास की सुविधा के लिए उसे या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को 50000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

घ) **<u>विशेष अनुदान:</u>** लंबी गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में बीएफसी के विवेक पर विशेष आवर्ती अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

8. **क**. अंत्येष्टि अनुदान, निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में आईआईएफटी के कुलसचिव द्वारा इसे स्वीकृत किया जाएगा, जबकि अन्य अनुदान बीएफसी द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। **ख.** ये नियम किसी भी कर्मचारी को इन लाभों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देते हैं; इस मामले में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

9. योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और प्रक्रिया समय-समय पर बीएफसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

10. निधि का प्रशासन बीएफसी के अधीन रहेगा।

11. इस निधि की शुरुआत के दो महीने के भीतर, प्रत्येक मौजूदा कर्मचारी को अंशदायी सदस्य के रूप में निधि में शामिल होने का विकल्प चुनना होगा। भावी कर्मचारियों को आईआईएफटी में नियमित सेवा में शामिल होते समय अंशदायी सदस्य बनने का विकल्प चुनना होगा, अन्यथा वे अंशदायी और लाभार्थी होने का अपना अधिकार खो देंगे। गैर-सदस्यों को निधि के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र होने की तिथि से निधि में शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है।

12. इन नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को कार्यकारी समिति/शासी निकाय के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।